प्रति:
1. संचालक विदि. हेल्थ एण्ड मेडिकेयर प्रा.लि.भोपाल।
2. दिव्या पंडेय एण्ड.टी. कलेक्टर भोपाल।
3. संचालक गेलेक्सी होस्पिटल भोपाल।
4. संचालक मेरेक्ट होस्पिटल भोपाल।
5. संचालक अम्न होस्पिटल एण्ड सर्च सेंटर भोपाल।
6. संचालक डॉ विदीन एडवर्ड होस्पिटल भोपाल।
7. सहारा बेकर एवं जनरल होस्पिटल भोपाल।
8. संचालक सेवा सदन होस्पिटल भोपाल।
9. संचालक आजिश होस्पिटल जबलपुर।
10. संचालक सिटी होस्पिटल जबलपुर।
11. संचालक महाकाश होस्पिटल जबलपुर।
12. संचालक माहेश सिटी होस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्रा.लि. जबलपुर।
13. मेडिक्सरूप होस्पिटल, प्रा.लि. इंदौर।
14. रू. दिल्ली सेंटर कोर साइट राज.टी. इंदौर।
सुधीबाबा निजी चिकित्सा प्रदर्शन, आयुष्मान भारत “निरामयम्” मध्यप्रदेश।

विषय:- आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के प्रशासन-प्रसार के संबंध में।
संबंध:- 1. कार्यवाही पत्र क्रमक/2018/153 भोपाल, दिनांक 22/11/2018
2. कार्यवाही पत्र क्रमक/ई.ओ. /ए.बी. /2019/49 भोपाल, दिनांक 08.02.2019

उपरोक्त विषयार्थ संदर्भ में क्रमक-1 का अवलोकन करें जिसके माध्यम से आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के प्रशासन-प्रसार के संबंध में किया गया दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। प्रति संलग्न हैं।

पूर्व में से संदर्भ क्रमक-2 (पत्र की प्रति संलग्न) द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आप आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना की ब्रांडिंग एवं पलेक्स आपकी संस्था में लगाना फुर्स्ट फाइल रखना और, परन्तु जिले में पदवी जिला समन्वयक द्वारा अभी अपना कराता गया है, कि आपके निजी चिकित्सालय में आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना की ब्रांडिंग नहीं की जा रही एवं न ही पलेक्स लगाये गये हैं। इससे योजना का व्यापक प्रशासन-प्रसार नहीं हो रहा है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना की ब्रांडिंग करें एवं पलेक्स लगाकर ईमेल ayushman.bharat@mp.gov.in पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- सूची अनुसार

(राँची खान)
कार्यालय अधिकारी
आयुष्मान भारत “निरामयम्” मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 07/03/2019

पू.क्रमक./ई.ओ./ए.बी./2019/97
प्रतिलिपि:-
1. प्रमुख संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुष्मान स्वास्थ्य, संचालनालय सदनमा भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी:- भोपाल, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
4. आई.एस.ए.-विद्युत हेल्थ इंस्ट्रोइंस टी.पी.ए भोपाल।
5. वेब एडिनिस्ट्रेटर, आयुष्मान भारत म.प्र।

(सिद्धि ग्रहण)
कार्यालय अधिकारी
आयुष्मान भारत “निरामयम्” मध्यप्रदेश
प्रति,

1. संचालक विश्वास हेल्थ एण्ड मेडिकेयर प्रांत.भोपाल।
2. संचालक गलेरसी हॉस्पिटल भोपाल।
3. संचालक मेरेकल हॉस्पिटल भोपाल।
4. संचालक ओम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल।
5. संचालक रेनो विल्डब्राइट हॉस्पिटल भोपाल।
6. संचालक सेवा सदन हॉस्पिटल भोपाल।
7. संचालक अशोक हॉस्पिटल जबलपुर।
8. संचालक सिटी हॉस्पिटल जबलपुर।
9. संचालक महाकाश हॉस्पिटल जबलपुर।
10. संचालक महारथ सिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्रांत. जबलपुर।

पुष्पिक्ष निजी विकित्सालय, आयुर्मान भारत “निरामयम” मध्यप्रदेश।

विषय:-आयुर्मान भारत “निरामयम योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के प्रचार-प्रसार के संबंध में।

संदेश:-कार्यलयीन पत्र क्रमांक./2018/153 भोपाल, दिनांक 22/11/2018

उपरोक्त विषयानुसार प्रति चेतावनी करें जिसके माध्यम से आयुर्मान भारत” निरामयम योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के प्रचार-प्रसार के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। प्रति संलग्न है।

योजना के अन्तर्गत जिले में पदस्थ जिला समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया है, कि आपके निजी विकित्सालय में आयुर्मान भारत “निरामयम योजना की ब्रान्डी नहीं की जा रही एवं न ही पलेक्स लगाये गये है। जिसे योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हो या रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है की आयुर्मान भारत “निरामयम योजना की ब्रान्डी करें एवं पलेक्स लगाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-

(स्वी.खान)
कार्यालयाधिकारी
आयुर्मान भारत “निरामयम” मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 08/02/2019

पूर्व क्रमांक./ई.ओ./ए.बी./2019/50

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुर्मान स्वास्थ्य, संचालनालय शतपुडा भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
3. मुख्य विकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी :- भोपाल, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
4. वेब एडमिनिस्ट्रेटर, आयुर्मान भारत म.प।

कार्यालयाधिकारी
आयुर्मान भारत “निरामयम” मध्यप्रदेश
विषय: आयुर्वेद भारत निर्माण मंडलदेश के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के प्रचार-प्रसार के शब्द में।

0-0-
उपरोक्त संदर्भित विषयात्मक तत्त्व है कि आयुर्वेद भारत निर्माण मंडलदेश के विषय में आम नागरिकों को अभिकृत कराने के उद्देश्य से आप अपने अस्पताल में निम्नलिखित अनुसार प्रचार-प्रसार मात्रिकाओं कर्तन सुनिश्चित करें:

1. अस्पताल में पद्धति आयुर्वेद निर्माण जिवित योजना के अनुसार यूनिफार्म पहनना सुनिश्चित करें।
2. आयुर्वेद भारत निर्माण मंडलदेश के फिल्मों का रास्ता कराना सही स्थान सालन (सलाना-एक)। आयुर्वेद मित्र के कार्यालय भी फिल्म के साथ सालन (सलाना-दो)।

3. आयुर्वेद में जनप्रिय और जनशुद्ध के लिए कंम के कम 10X10 वर्गफिट आकार का काम अध्यात्म विभाग में स्थानित किया जाए।
4. यदि इस आकार का पूर्ण से निम्न का उपलब्ध है तो उसे ही 'आयुर्वेद कार्यालय के रूप में' सुनिश्चित किया जाए।
5. यदि पूर्ण निम्न का उपलब्ध रहे तो ब्रह्मदेव, हॉल आदि में उस आकारक का अध्यात्म विभाग चर्चित करें।
6. यदि इस कार्यक्रम के संरक्षण कार्यक्रम के लिए विभिन्न विभागों में से किसी दूसरे कार्यक्रम से सहयोग भी चर्चित करें।
7. यह कार्यालय स्थान सहजता से विदेशी जनजातियों पर ध्यान दिया है।
8. कंम का काम 25X4 वर्गफिट आकार की टेबल, कंप्यूटर एवं प्रिंटर स्थान जाना है,
9. कंप्यूटर में इंटरनेट कंमकार की आधार से करें।
10. आयुर्वेद मित्र के कार्यालय के लिए एक दूरसंचार टेलिफोन के योजना तथा अन्य योजनाओं के फिल्म के लिए दो-दूसरे कुर्सियां टेलिफोन के दूसरी स्थान हो।
11. कंम में वनस्पति अनुसार उपलब्ध हो।
12. कंम के बाहर 'आयुर्वेद भारत निर्माण मंडलदेश कार्यक्रम का स्पष्ट बोर्ड लगा हो।
13. कंम के बाहर योजना का नाम एवं अन्य जानकारियों द्वारा सारांश प्रसारण के अनुसार लगे हो।
• सलाम प्रारूप में प्रयोग किये गये डिजाइन अथवा रंगों को बदला न जाये।
• औपलब्रिज़ स्थान से आयुर्वेद का तक आसानी से लोग पहुँच सकें इस हेतु आवश्यक संकेतक बोर्ड लगावाना सुनिश्चित करें।
• आयुर्वेदानित्र का नाम तथा मोबाइल नंबर भी ‘आयुर्वेद का’ के बाहर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए ताकि यदि आयुर्वेद निदेश कक्ष में या सीट पर नहीं है तो उसे बुलाया जा सके।
• इस कियोलस में आवश्यक आईईसी सामग्री यथा प्रेसपेपल इत्यादि भी रखें जाए।
• कियोलस हेतु स्पेशलिकेशन एवं आईईसी सामग्री के प्रारूप संतान है।
3. अस्पताल में योजना के संबंध में सलाम प्रारूप के अनुरुप होनी चाहिए प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करें।
कृप्या प्रारूप में कोई भी बदलाव न किया जाए (संलग्न-पाँच)।
4. अस्पताल में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर निर्माण सम्प्रदाय को अनुरुप पाठ परिवारों का किसी भी तार का शुल्क भुगतान न करने संबंधी सुविधा भी प्रदर्शित करवायें। सूचना का प्रारूप निरन्तरअधिकार है—
आयुर्वेद भारत निर्माण सम्प्रदाय को निशुल्क उपचार की सुविधा प्राप्त है।
किसी भी तार का कोई भी शुल्क नहीं देना है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी लागतों जैसे बिजनूति, इलाज़ देना, गर्मी करने का शुल्क आदि के नाम पर पैसे गंवाता है तो इसकी सूचना निरन्तरअधिकार नामक पर दें (अस्पताल अधीक्षक का नाम तथा मोबाइल नंबर)।
5. अस्पताल में सरी से वह भरने वाले परिवारों को योजना की जानकारी देने के लिए सलाम प्रारूप के अनुरुप प्रेसपेपल नुम्बर करवाकर प्रत्येक स्थान में रखना सुनिश्चित करें (संलग्न-छ)।
6. योजना के सभी लागतों से संबंधित लेटा किसी भी स्थानित में किसी भी ज्ञाति अथवा संस्था आदि से साझा न किया जाए। सायर स्वाभिमान अधिनियम के अंतर्गत यह एक वेतनपीय अपराध भी है।
7. योजना के अंतर्गत आपके अस्तित्व के गंवार अधिकारों को शाति तथा योजना संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आप अपने प्रशिक्षित नौकर अधिकारी के माध्यम से आपके अस्पताल के चिकित्सकों पैरामेडिकल तथा अन्य स्टाफ को योजना संबंधी प्रशिक्षण करवाना सुनिश्चित करें।

(साहित्य वाहन)
कार्यवाहन अधिकारी
आयुर्वेद भारत निर्माण सम्प्रदाय

पु. कमांड /आईईसी /2018/

प्रविष्टि—
1. समस्त बन्दरीय /समस्तीय संभाग संचालक स्वास्थ्य सेवाएं; मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं ज्ञाति अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. समस्त आईईसी, स्वास्थ्य सेवाएं; मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला नागरिक अधिकारी, आयुर्वेद क्षेत्रप्रदेश।
5. राज्य प्रविष्टि, विभाग एजेंसी, जेपी, स्वास्थ्य निर्मित्य परिषद; भोपाल, मध्यप्रदेश।

कार्यवाहन अधिकारी
आयुर्वेद भारत निर्माण सम्प्रदाय